अभिव्यक्ति की अभिरूचि

परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल परियोजना, उत्तराखण्ड, के माध्यम से संचालित स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत गंगा किनारे अवस्थित 132 ग्राम पंचायतों हेतु ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन की विस्तृत कार्ययोजना (DPR) बनाने तथा मिशन नमामि गंगे के अन्तर्गत चयनित उक्त ग्राम पंचायतों में उनका कियान्वयन किया जाना है, जिस हेतु अभिव्यक्ति की अभिरूचि (Expression of Interest) की विस्तृत सूचना परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल परियोजना, उत्तराखण्ड, देहरादून की वेबसाईट :– http://Swajal.uk. Gov.in पर उपलब्ध है।

अतः इच्छुक सहयोगी संस्थायें, निर्धारित पात्रता/शर्तो की जानकारी हेतु, निविदा प्रपत्र क्रय करने तथा अन्य विवरण परियोजना प्रबन्धन इकाई–स्वजल परियोजना, दि इन्सटिट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स भवन, सहारनपुर दिल्ली रोड़, देहरादून से प्राप्त कर सकते हैं। नमामि गंगे के अन्तर्गत चयनित गंगा के किनारे अवस्थित विभिन्न ग्राम पंचायतों में किये जाने वाले ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन सम्बन्धी कार्यों के प्रस्ताव दिनांक 26 अक्टूबर, 2015, सायः 3:00 बजे तक उक्त कार्यालय में जमा कर सकते हैं।

निदेशक

कार्यालय
परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल परियोजना, उत्तराखण्ड
दि इन्स्टीटयूशन ऑफ इन्जिनियर्स बिल्डिगं, (Opposite ISBT), देहरादून

मिशन नमामि गंगे के अन्तर्गत चयनित गंगा के किनारे अवस्थित ग्राम पंचायतों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन (SLWM) की विस्तृत कार्ययोजना (डी0पी0आर0) बनाने तथा उनका कियान्वयन करने हेतु आवेदन पत्र

मूल्य – ₹ 500.00
वैट – ₹ 70.00
कुल – ₹ 570.00

1. प्रपत्र क्रय करने की अन्तिम तिथि दिनांक – 05 अक्टूबर, 2015 से दिनांक 23 अक्टूबर, 2015 तक

2. प्रस्ताव जमा करने की अन्तिम तिथि दिनांक – 26 अक्टूबर, 2015 (अपरान्ह 3:00 बजे)

3. प्रस्ताव खुलने की तिथि दिनांक – 26 अक्टूबर, 2015 (अपरान्ह 3:30 बजे)

निदेशक
स्वजल परियोजना, देहरादून

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
परियोजना प्रबन्धन इकाई,
उत्तराखण्ड ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता परियोजना,
(पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड)

ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु नियोजन एवं कियान्वयन हेतु अभिरूचि की अभिव्यक्ति प्रस्ताव प्रेषित करने का प्रपत्र

आवेदन करने वाली सहयोगी संस्था का नाम–.....

मुख्य कार्यालय का पता – .....
(पत्राचार हेतु) .....
.....

क्षेत्रीय कार्यालय (यदि हों तो)– 1.....
2.....
3.....

दूरभाष संख्या– (कार्यालय)– .....
(मोबाईल)– .....

सहयोगी संस्था का ई–मेल आई.डी.– .....

पंजीकरण का दिनांक एवं संख्या– .....
(पंजीकरण प्रमाणपत्र संलग्न करें)

सहयोगी संस्था के बॉयलॉज मे स्वच्छता के क्षेत्र मे कार्य करने का उल्लेख है अथवा नही.....(हां/नही)
(यदि हां तो बॉयलॉज की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

सहयोगी संस्था का स्वच्छता के क्षेत्र मे कार्य करने का अनुभव.....(वर्षो मे)

सहयोगी संस्था द्वारा चार्टर्ड एकाउण्टैन्ट से न्यूनतम 3 साल का ऑडिट करवाया गया है अथवा नही (हां/नही) .....
(यदि हां तो विगत 3 साल के ऑडिट सीट की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

सहयोगी संस्था मे कार्यरत (सहयोगी संस्थाओं के चयन हेतु पात्रता में दिए गए विवरण के अनुसार) पर्याप्त स्टाफ है अथवा नही (हां/नही) .....
(यदि हां तो विवरण उपलब्ध करवायें तथा सम्बन्धित स्टाफ का बॉयोडाटा तथा निम्न विवरणानुसार शैक्षिक प्रमाण की छायाप्रति पत्र उपलब्ध करवायें।

क.सं.	कार्यरत स्टाफ का नाम	पदनाम	शैक्षिक योग्यता	सम्बन्धित क्षेत्र मे कार्य अनुभव
1		सोशल साईंटिस्ट		
2		अभियन्ता		
3		पर्यावरण विशेषज्ञ		
4		लेखाकार		
5		डाटा एण्ट्री ऑपरेटर,		

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
परियोजना प्रबन्धन इकाई,
उत्तराखण्ड ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता परियोजना,
(पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड)
ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु नियम व शर्तें

1. सहयोगी संस्थाओं के चयन हेतु पात्रता :–

(i) सहयोगी संस्था सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत न्यूनतम 3 वर्ष पूर्व पंजीकृत हो तथा वर्तमान में कार्यरत हो।

(ii) संस्था को ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव हो।

(iii) संस्था के पास उत्तराखण्ड में अपना कार्यालय अवस्थित हो।

(iV) संस्था के पास टीम लीडर के अतिरिक्त न्यूनतम एक सोशल साईंटिस्ट (सामाजिक विज्ञान/सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर एवं न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव) तथा एक अभियन्ता (सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री व दो वर्ष का अनुभव अथवा सिविल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा व 8 वर्ष का अनुभव) एवं एक पर्यावरण विशेषज्ञ (पर्यावरण/वनस्पति विज्ञान/वाणिकी में स्नातकोत्तर एवं 3 वर्ष का अनुभव), एक लेखाकार,(बी–कॉम एवं दो वर्ष का अनुभव) एक डाटा एण्ट्री ऑपरेटर (6 माह अवधि का कम्प्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स) न्यूनतम स्टाफ के रूप में कार्यरत हो।

(V) चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट से तीन वर्ष का ऑडिट प्रमाण पत्र प्राप्त हो।

(VI) संस्था के बॉयलॉज में स्वच्छता के क्षेत्र में कार्य करने का उल्लेख किया गया हो।

2. ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु सहयोगी संस्था का दायित्व :–

(क) सहयोगी संस्था का दायित्व होगा कि वह ग्राम पंचायत को नियोजन चरण के दौरान समस्त परिवारों को स्वच्छता की महत्ता व स्वच्छता सुविधा हेतु सृजित संरचनाओं से सम्बन्धित गतिविधियों का विस्तृत सर्वेक्षण कर प्राकलन तैयार करेगी व प्रस्तावित गतिविधियों को ग्राम पंचायत की आम सहमति बैठक (Agree to Do meeting) में अनुमोदन करायेगी।

(ख) सहयोगी संस्था द्वारा स्वच्छता सुविधा हेतु सृजित की जाने वाली संरचनाओं की मांग हेतु विस्तृत सर्वेक्षण कार्य किया जायेगा। तद्नुसार उसका प्राकलन तैयार कर भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के दिशा– निर्देशों के अनुरूप कार्यों का ससमय एवं सफल कियान्वयन करेगी।

(ग) ग्राम पंचायत की मांग के अनुसार प्रस्तावित गतिविधियों/निर्माण कार्यो हेतु तैयार किया गया प्राकलन के अनुसार कियान्वयन चरण के दौरान निर्माण कार्य और सामुदायिक विकास कियाकलापों के सम्यक निष्पादन के लिए संस्था ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति के साथ उत्तरदायी होगी।

(घ) ग्राम पंचायत को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाये रखने हेतु आवश्यक गतिविधियां जैसे स्कूल के माध्यम से स्वच्छता रैलियों का आयोजन, बच्चों में स्वच्छता सफाई के प्रति जागरूकता लाने हेतु वाद–विवाद प्रतियोगितायें, स्वच्छता से सम्बन्धित मुद्दों पर स्वास्थ्य, शिक्षा शिविरों का आयोजन, स्वस्थ घर सर्वेक्षण, सफाई अभियान, समूह बैठकें, दीवार लेखन, सामुदायिक बैठकें आयोजित करना, सामुदायिक प्रशिक्षण आदि।

(ड.) ग्राम पंचायत में अवस्थित समस्त पेयजल स्रोतों का फील्ड टैस्ट किट के माध्यम से परीक्षण करना व परीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध कराना।

(च) ग्राम पंचायत को खाता संचालन व निर्माण कार्य के दौरान व्यय हुयी धनराशि का विवरण अभिलेखित करने में आवश्यक सहयोग करना।

(छ) सहयोगी संस्था उक्त कार्यक्रमों को सम्पादित करने हेतु पी0एम0यू0/डी0पी0एम0यू0 स्तर से प्राप्त हुई धनराशि को रखने हेतु ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति के नाम से पृथक बैंक खाता खुलवाएगी।

(ज) सहयोगी संस्था को भुगतान अनुबन्ध में वर्णित सारणी के अनुसार तीन किस्तों में किया जायेगा।

3. संस्था को देय धनराशि :–

इस अनुबन्ध के अन्तर्गत सहयोगी संस्था को तीन माह की नियोजन चरण की समस्त गतिविधियों के शत्–प्रतिशत पूर्ण करने पर कुल ₹ 20,000 (₹ बीस हजार मात्र) तथा छ माह में कियान्वयन चरण की समस्त गतिविधियों को पूर्ण करने पर ₹ 29000 (₹ उन्तीस हजार मात्र) की धनराशि निम्न विवरण के

अनुसार प्रति ग्राम पंचायत की दर से देय होगा, जिसे तीन किश्तों में अवमुक्त किया जायेगा, जिसको अवमुक्त करने हेतु शर्तों का विवरण निम्नानुसार है :–

4. निर्माण गुणवत्ता नियंत्रण :–

भारत सरकार/राज्य सरकार के स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों एवं मानकों के अनुरूप निर्माण कार्य पूर्ण करेंगी।

5. भुगतान की सारणी

(अ) भुगतान की सारणी नीचे दी हुई है (नियोजन चरण) :–

भुगतान	जब या जिसके लगभग भुगतान करना है
प्रथम किश्त 30%	प्रभावी तिथि के 1 माह के अन्तर्गत (अनुबन्ध में दी गयी शर्तों को पूर्ण करने पर)
द्वितीय किश्त 30%	प्रभावी तिथि के 2 माह के अन्तर्गत (अनुबन्ध में दी गयी शर्तों को पूर्ण करने पर)
तृतीय किश्त 40%	अनुबन्ध के 3 माह तथा कार्य पूर्ण होने पर (तैयार डी0पी0आर0 का अनुमोदन ग्राम पंचायत एवं डी0डब्लू0एस0एम0 स्तर से होने के उपरान्त)

(ब) भुगतान की सारणी नीचे दी हुई है (कियान्वयन चरण) :–

भुगतान	जब या जिसके लगभग भुगतान करना है
प्रथम किश्त 30%	प्रभावी तिथि के 2 माह के अन्तर्गत (अनुबन्ध में दी गयी शर्तों को पूर्ण करने पर)
द्वितीय किश्त 30%	प्रभावी तिथि के 4 माह के अन्तर्गत (अनुबन्ध में दी गयी शर्तों को पूर्ण करने पर)
तृतीय किश्त 40%	अनुबन्ध के 6 माह तथा कार्य पूर्ण होने पर (तैयार डी0पी0आर0 के अनुसार समस्त कार्य पूर्ण होने, आई0पी0सी0आर0 तैयार होने तथा सृजित परिसम्पत्तियां ग्राम पंचायत के परिसम्पत्ति पंजिका में अंकित होने के उपरान्त)

6. सहयोगी संस्था का भुगतान (नियोजन चरण) :–

(अ) प्रथम किश्त की शर्तें :–

भुगतान # 1 निम्न शर्तों के पूर्ण होने पर किया जायगा :–

(I) पी0एम0यू0/डी0पी0एम0यू0 के साथ अनुबन्ध हस्ताक्षरित कर लिया गया हो।

(II) निर्धारित प्रारूप पर भुगतान की औपचारिक मांग पीएमयू/डी0पी0एम0यू0 को प्राप्त हो गयी हो।

(III) निर्धारित स्टाफ नियुक्त कर दिया गया हो और इसकी सूचना पी0एम0यू0/डी0पी0एम0यू0 को उपलब्ध करा दी गयी हो।

(IV) संस्था द्वारा यदि ग्राम पंचायत में ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति गठित नहीं है, तो गठित कर दी गयी हो और यदि पुर्नगठन की आवश्यकता है, तो उसे पुर्नगठित करते हुये उसकी सूचना डी0पी0एम0यू0 को उपलब्ध करा दी गयी हो।

(V) सामाजिक अंकेक्षण समिति (Social Audit Committee) को मानकानुसार गठित कर सम्बन्धित प्रस्ताव डी0पी0एम0यू0 को उपलब्ध करा दिया गया हो।

(VI) ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष द्वारा पृथक से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में बैंक खाता खोल लिया गया हों।

(VII) प्रथम स्वस्थ घर सर्वेक्षण सम्पन्न कर दिया गया हो एवं ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति सदस्यों हेतु निम्न प्रशिक्षण आयोजित किये जा चुके हों :–
(i) कार्य एवं उत्तरदायित्व–(2 दिवसीय) (ii) स्वास्थ्य एवं स्वच्छता (2 दिवसीय)

(VIII) संस्था द्वारा आंकलन (डी0पी0आर0) तैयार करने से पूर्व ठोस एवं तरल अपशिष्ठ प्रबन्धन में प्रस्तावित गतिविधियों के विकल्पों पर चर्चा आम सहमति बैठक में की गयी हों व अन्तिम विकल्पों का चयन कर दिया गया हों।

(IX) संस्था द्वारा भारत सरकार की स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की मार्गनिर्देशिका के अनुसार ठोस एवं तरल अपशिष्ठ प्रबन्धन के अन्तर्गत डी0पी0आर0 तैयार की गयी हों व जो पी0एम0यू0/डी0पी0एम0यू0/डी0डब्लू0एस0एम0 को मान्य हों।

(ब) द्वितीय किश्त भुगतान की शर्तें :–

(I) निर्धारित प्रारूप पर भुगतान की औपचारिक मांग पीएमयू को प्राप्त हो गयी हो,

(II) ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन की प्रस्तावित गतिविधियों के सापेक्ष 25% कार्य पूर्ण व न्यूनतम 50% गतिविधियां गतिमान हों, की सूची/विस्तृत विवरण पी0एम0यू0/डी0पी0एम0यू0 को उपलब्ध करा दी गयी हों।

(III) निर्धारित प्रारूप पर मासिक प्रगति आख्या नियमित रूप से पी0एम0यू0/डी0पी0एम0यू0 को उपलब्ध कराई जा रही हों।

(IV) पूर्ण की गयी संरचनाओं एवं सामुदायिक गतिविधियों की फोटोग्राफ पी0एम0यू0/डी0पी0एम0यू0 को उपलब्ध करा दी गयी हों।

(V) अवमुक्त की गयी प्रथम भुगतान का कम से कम 80% व्यय कर लिया गया हो एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र पी0एम0यू0/डी0पी0एम0यू0 को उपलब्ध करा दिया गया हो।

(VI) सम्बधित ग्राम पंचायत के अन्तर्गत समस्त विद्यालयों/आंगनवाड़ियों में स्वच्छता जागरूकता सम्बन्धी कार्यक्रमों का समय–समय पर आयोजन किया जा रहा हो व पेयजल गुणवत्ता हेतु भी ग्राम पंचायत को जागरूक किया जा रहा है, का प्रमाण पी0एम0यू0/डी0पी0एम0यू0 को उपलब्ध करा दिया गया हो।

(स) तृतीय किश्त भुगतान की शर्तें :–

(I) निर्धारित प्रारूप पर भुगतान की औपचारिक मांग पीएमयू को प्राप्त हो गयी हो,

(II) संस्था को किया गया प्रथम भुगतान 100% व्यय कर लिया गया हो एवं द्वितीय भुगतान का न्यूनतम 80% व्यय कर उपयोगिात प्रमाण पत्र पी0एम0यू0/डी0पी0एम0यू0 को उपलब्ध करा दिया गया हो।

(III) ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन की प्रस्तावित गतिविधियों (डी.पी.आर.) के सापेक्ष 100% कार्य पूर्ण कर दिये गये हों, की सूची/विस्तृत विवरण (निर्धारित प्रारूप) पर वित्तीय एवं भौतिक विवरण सहित पी0एम0यू0/डी0पी0एम0यू0 को उपलब्ध करा दी गयी हों।

(IV) स्वच्छता सुविधा हेतु सृजित संरचनाओं के डी0पी0आर तैयार करने हेतु, ग्राम पंचायत/उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमिति/डी0पी0एम0यू0/पी.एम.यू. प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की गयी हो।

(V) डी0पी0आर0 में प्रस्तावित गतिविधियों आर्थिक उत्पादकता सम्बन्धी यथा कम्पोस्टिंग, वर्मी कम्पोस्टिंग, बायोगैस आदि पर अधिक केन्द्रित हों।

(VI) डी0पी0आर0 में स्व0 पोषणीय/वहनीय (Self sustainable) अनुरक्षण एवं रखरखाव की व्यवस्था हो।

(VII) तैयार की गयी डी0पी0आर0 डी0पी0एम0यू0/पी0एम0यू0 को उपलब्ध करा दी गयी हो।

(VIII) तैयार की गयी डी0पी0आर0 का अनुमोदन डी.पी.एम.यू. के माध्यम से जिला जल एवं स्वच्छता समिति/मिशन से करवा लिया गया हो।

(IX) निर्धारित प्रारूप पर अन्तिम मासिक प्रगति आख्या सहित नियोजन चरण के दौरान संचालित समस्त गतिविधियों की आख्या (विस्तृत विवरण, फोटोग्राफ सहित) भी पी0एम0यू0/डी0पी0एम0यू0 को उपलब्ध करा दी गयी हों।

(X) वी0डब्लू0एस0सी0 द्वारा स्वच्छता सुविधाओं हेतु सृजित परिसम्पत्तियों के रखरखाव हेतु अपनी नियमावली तैयार कर ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदित की जा चुकी हो।

7. सहयोगी संस्था का भुगतान (कियान्वयन चरण) :–

(अ) प्रथम किश्त की शर्तें :–

भुगतान # 1 निम्न शर्तों के पूर्ण होने पर किया जायगा :–

(I) डी0पी0एम0यू0, सहयोगी संस्था, ग्राम पंचायत एवं उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उप समिति के साथ चतुर्पक्षीय अनुबन्ध हस्ताक्षरित कर लिया गया हो।

(II) ग्राम पंचायत को कियान्वयन चरण गतिविधियों हेतु प्रथम भुगतान अवमुक्त कर दिया गया हो।

(III) डी0पी0आर0 के अनुसार प्रस्तावित अंशदान (यदि कोई हो तो) एकत्रित कर बैंक खाते में जमा कर दिया गया हो।

(IV) उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उप समिति स्तर पर सामग्री क्रय करने हेतु बाजार सर्वेक्षण करने के लिए क्रय समिति का गठन कर लिया गया हो।

(V) गठित क्रय समिति द्वारा डी0पी0आर0 में प्रस्तावित सामग्री क्रय करने हेतु डी0पी0एम0यू0/सहयोगी संस्था के अभियन्ता से लॉट प्रथम की सूची तैयार करवा ली गयी हो।

(VI) प्रथम लॉट की सूची के अनुरूप सामग्री क्रय करने हेतु क्रय समिति द्वारा बाजार सर्वेक्षण कर कोटेशन/पी0आई0 एकत्रित कर अंतिम रूप से सप्लायर्स का चयन कर लिया गया हो एवं उसे उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उप समिति तथा ग्राम पंचायत से अनुमोदन कर पत्रावली डी0पी0एम0यू0/पी0एम0यू0 को उपलब्ध करा दी गयी हो।

(VII) निर्धारित प्रारूप पर ग्राम पंचायत/उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उप समिति से भुगतान की मांग पीएमयू/डी0पी0एम0यू0 को प्राप्त हो गयी हो।

(VIII) निर्धारित प्रारूप पर सहयोगी संस्था द्वारा भुगतान की मांग पीएमयू/डी0पी0एम0यू0 को प्राप्त हो गयी हो।

(ब) द्वितीय किश्त भुगतान की शर्तें :–

(I) सहयोगी संस्था तथा ग्राम पंचायत/उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उप समिति द्वारा निर्धारित प्रारूप पर भुगतान की औपचारिक मांग पीएमयू/डी0पी0एम0यू0 को प्राप्त हो गयी हो,

(II) लॉट प्रथम की सामग्री का क्रय कर लिया गया हो एवं उसका सुरक्षित भण्डारण का लिया गया हो।

(III) किये गये प्रथम भुगतान का न्यूनतम 80% व्यय कर उपयोगिता प्रमाण पत्र पी0एम0यू0/डी0पी0एम0यू0 को उपलब्ध करा दिया गया हो।

(IV) लॉट–2 में क्रय की जाने वाली सामग्री (यदि कोई हो तो) की सूची, बाजार सर्वेक्षण, सप्लायर चयन इत्यादि की समस्त प्रक्रियायें पूर्ण कर पत्रावली अनुमोदन हेतु डी0पी0एम0यू0/पी0एम0यू0 को उपलब्ध करा दी गयी हो।

(V) ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन की प्रस्तावित गतिविधियों के सापेक्ष 25% कार्य पूर्ण व न्यूनतम 50% गतिविधियां गतिमान (निर्माणाधीन) हों, की सूची/विस्तृत विवरण पी0एम0यू0/डी0पी0एम0यू0 को उपलब्ध करा दी गयी हों।

(VI) निर्धारित प्रारूप पर मासिक प्रगति आख्या नियमित रूप से पी0एम0यू0/डी0पी0एम0यू0 को उपलब्ध कराई जा रही हों।

(VII) अनुबन्ध में वर्णित सामुदायिक गतिविधियों के संचालन/पूर्ण होने की आख्या डी0पी0एम0यू0/पी0एम0यू0 को उपलब्ध करा दी गयी हो।

(VIII) पूर्ण की गयी संरचनाओं एवं सामुदायिक गतिविधियों की फोटोग्राफ पी0एम0यू0/डी0पी0एम0यू0 को उपलब्ध करा दी गयी हों।

(स) तृतीय किश्त भुगतान की शर्तें :–

(I) सहयोगी संस्था तथा ग्राम पंचायत/उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उप समिति द्वारा निर्धारित प्रारूप पर भुगतान की औपचारिक मांग पीएमयू/डी0पी0एम0यू0 को प्राप्त हो गयी हो,

(II) प्रथम भुगतान का 100% व्यय कर लिया गया हो एवं द्वितीय भुगतान का न्यूनतम 80% व्यय कर उपयोगित प्रमाण पत्र पी0एम0यू0/डी0पी0एम0यू0 को उपलब्ध करा दिया गया हो।

(III) सामाजिक अंकेक्षण समिति (Social Audit Committee) से कम से कम एक सामाजिक अंकेक्षण (ऑडिट) करा लिया गया हो एवं उसकी आख्या डी0पी0एम0यू0/पी0एम0यू0 को उपलब्ध करा दी गयी हो।

(IV) स्वच्छता सुविधा हेतु सृजित संरचनाओं की आई0पी0सी0आर0 तैयार करने हेतु, ग्राम पंचायत/उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमिति/डी0पी0एम0यू0/पी.एम.यू. प्रतिनिधियों की उपस्थिति मे संयुक्त निरिक्षण करवा लिया गया हों।

(V) संयुक्त निरिक्षण के उपरान्त उक्त ग्राम पंचायत मे किये गये कार्यो की आई.पी.सी.आर तैयार कर डी.पी.एम.यू./पी.एम.यू. को उपलब्ध करा ली गयी हो।

(VI) तैयार की गयी आई.पी.सी.आर. का अनुमोदन डी.पी.एम.यू. के माध्यम से जिला जल एवं स्वच्छता समिति/मिशन से करवा लिया गया हो।